न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी जिला जोधपुर।

पीठासीन अधिकारी :–गोपाल परिहार RAS
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– ~~53~~ 42/2022

प्रार्थीगण :–

1– सीतादेवी पत्नी स्व. भंवराराम
2– अनिल पटेल पुत्र स्व. भंवराराम
जातियान पटेल, निवासीगण खदाओं की ढाणी, नारनाडी तहसील लूणी जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1– जोराराम पुत्र छेलाराम
2– रामाराम पुत्र छेलाराम
3– मोहनराम पुत्र छेलाराम
4– चुकीदेवी पुत्री छैलाराम
5– मीमादेवी पुत्री छैलाराम
अप्रार्थी संख्या 1 से 5 जातियान पटेल, निवासीगण खदाओं की ढाणी, नारनाडी तहसील लूणी जिला जोधपुर।
6– सरकार जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।

प्रफोर्मा अप्रार्थीगण :–

7– लूणी देवी पत्नी जोराराम
8– बालूराम पुत्र जोराराम
प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 7 व 8 निवासीगण खदाओं की ढाणी, नारनाडी तहसील लूणी जिला जोधपुर।
9– साउ पुत्री जोराराम पत्नी केवलराम, निवासी ग्राम झँवर तहसील लूणी जिला जोधपुर।
10– चम्पा पुत्री जोराराम पत्नी बुधाराम, निवासी डोली तहसील लूणी जिला जोधपुर।
11– तेजाराम पुत्र स्व. भंवराराम
12– शंकरराम पुत्र स्व. भंवराराम
प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 11 व 12 निवासीगण खदाओं की ढाणी, नारनाडी तहसील लूणी जिला जोधपुर।
13– संतोष पुत्री स्व. भंवराराम पत्नी वक्ताराम जी निवासी ग्राम झँवर तहसील लूणी जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति :–

1– श्री प्रहलाद सिह अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2– श्री नथाराम चौधरी, अधिवक्त अप्रार्थी सं. 1 से 3 की ओर से।
3– श्री राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 6 की ओर से।
4– अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।
5– प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 7 से 13 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही

आदेश **दिनांकः–** 19/10/2022

इस आदेश के द्वारा प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा का निस्तारण किया जा रहा है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया गया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 5 खदाओं की ढाणी नारनाडी तहसील लूणी जिला जोधपुर के निवासीगण है। खेत खसरा नम्बर 227 रकबा 1.7240 हैक्टेयर मौजा ग्राम नारनाडी तहसील लूणी जिला जोधपुर में स्थित है, जो खातेदारी पूर्व में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पिताजी/पूर्वजों के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादग्रस्त जायदाद प्रार्थीगण के दादा व ससुर जोराराम जी के खातेदारी भूमि है, जो अपने जीवनकाल में कृषि कार्य भूमि का उपयोग व उपभोग करके अपना जीवनयापन करते है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के दादा व ससुर जोराराम के नाम से वादग्रस्त भूमि का फौतेदगी नामान्तरकरण छेलाराम के वारिसान के नाम से भरा गया है एवं राजस्व रेकर्ड में वर्तमान में टुपीदेवी फौत होने के पश्चात वर्तमान में वारिसान के नाम अमल दरामद किये गये। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण सीतादेवी पुत्रवधु व अनिल पोत्र है। उक्त भूमि पैतृक भूमि है, इस कारण प्रार्थीगण को जन्म से ही स्वतः ही उक्त भूमि के हक व अधिकार उत्पन्न हो गये। इस कारण प्रार्थीगण उक्त भूमि के कानूनन सह–खातेदार सहभागीदार व पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण खातेदारी घोषणा का दावा पेश

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

कर दिया है। छैलाराम का सजरा खानदान प्रार्थना पत्र की पद संख्या 5 में दर्शित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 छैलाराम के जायज वारिसान है। प्रार्थीगण स्व. भंवराराम की पत्नी व पुत्र तथा जोराराम की पुत्रवधु व पोत्र होने के नात से उक्त भूमि में प्रार्थीगण का 1/5–1/5 हिस्सा बनता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत भी प्रार्थीगण का हिस्सा बनता है। अप्रार्थी संख्या 1 को सम्पूर्ण भूमि बेचान करने का अधिकार नहीं है। जबकि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को आये दिन परेशान करते रहते है और प्रार्थीगण को वादग्रस्त जायदाद से बेदखल करने को आमादा है, जबकि वादग्रस्त भूमि पर में भंवराराम के देहान्त के पश्चात प्रार्थीगण का 1/5 हिस्सा बनता है। अतः प्रार्थीगण मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद करवाने के अधिकारी है कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को किसी भी पक्षकार को बेचान व हस्तान्तरण, रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे व वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावे। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीनी सीतादेवी ने अपना शपथपत्र पेश किया है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा संयुक्त रूप से जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि राजस्व ग्राम नारनाडी तहसील लूणी जिला जोधपुर में स्थित खसरा नम्बर 227 की भूमि रकबा 1.7240 हेक्टयर (10 बीघा 13 बिस्वा) अप्रार्थी संख्या 3 के पिता छैलाराम जी जिनका दिनांक 14.01.2001 को देहान्त हो चुका है, के खातेदारी, कब्जा एवं काश्त की कृषि भूमियॉ थी। जो भूमियॉ छैलाराम जी के देहान्त दिनांक 14.01.2001 के पश्चात से अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की माता श्रीमती टीपूदेवी पत्नी स्व. छैलाराम जी जातियान पटेल निवासी ग्राम नारनाडी तहसील लूणी जिला जोधपुर के खातेदारी, कब्जा एवं काश्त की कृषि भूमियॉ थी, जो भूमियॉ श्रीमती टीपूदेवी पत्नी स्व. छैलाराम जी के देहान्त दिनांक 11.07.2011 के पश्चात स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3195 दिनांक 20.01.2022 के पश्चात से स्व. छैलाराम जी के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी वारिसान पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के संयुक्त खातेदारी, कब्जा एवं काश्त की कृषि भूमियॉ है। जिसकी प्रार्थीगण को पूर्ण जानकारी है, जिन तथ्यों को छुपाते हुए प्रार्थीगण द्वारा बिना किसी अधिकार व आधार के यह एक गलत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, वादग्रस्त खसरों की कुल भूमियॉ छैलाराम जी के खातेदारी, कब्जा एवं काश्त की कृषि भूमियॉ थी। जो भूमि छैलाराम जी के देहान्त दिनांक 14.01.2001 के पश्चात राजस्व रेकर्ड में धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की अनुसूची के वर्ग–1 यानि प्रथम श्रेणी के वारिसान पुत्रगण अप्रार्थी संख्या 1 से 5 व पत्नी श्रीमती टीपूदेवी के नाम से बतौर खातेदार कृषक दर्ज की गई है व श्रीमती टीपूदेवी पत्नी छैलाराम जी के देहान्त दिनांक 11.07.2011 के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 3195 दिनांक 20.01.2022 विधिनुसार स्वीकृत करते हुए धारा 15 हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत अप्रार्थी संख्या 1 से 5 पुत्रों व पुत्रियों के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज की गई है। प्रार्थीनी संख्या 1 श्रीमती सीतादेवी अप्रार्थी संख्या 1 जोराराम के मृत पुत्र भॅवरलाल की पत्नी व प्रार्थी संख्या 2 अनिल पटेल अप्रार्थी संख्या 1 जोरराम के मृत पुत्र भॅवरलाल का पुत्र है जो अप्रार्थी संख्या 1 जोराराम जी के जीवित रहते धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की अनुसूची वर्ग–1 व धारा 15 हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में वर्णित–क श्रेणी में वर्णित स्व. छैलाराम जी व स्व. टीपूदेवी के उत्तराधिकारी वारिसान कानूनन नहीं हो सकते है। जिस कारण प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त खसरों की भूमियों में अप्रार्थी संख्या 1 के जीवित रहते प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 5 से 11 को किसी भी प्रकार से कोई हित व अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को अपने अपने हिस्से व खातेदारी की भूमियों को उपयोग व उपभोग करने, काश्त करने व अंतरण करने का विधिक अधिकार प्राप्त है। धारा 8 व धारा 15 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के जीवनकाल में वादग्रस्त खसरों की भूमियों में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 7 से 13 का कानूनन किसी भी प्रकार से कोई हक, हिस्सा, हित व अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 जोराराम प्रार्थीनी संख्या 1 सीतादेवी के ससुर व प्रार्थी संख्या 2 अनिल पटेल के दादा है, यानि प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 जोराराम के पुत्र भॅवरलाल जिसका देहान्त हो चुका है, की पत्नी व पुत्र है। वादग्रस्त खसरों की भूमियॉ जो वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 से 5 जोराराम, रामाराम व मोहनराम पुत्रियॉ चुकीदेवी व मीमादेवी पिसरान स्व. छैलाराम जी के नाम से बतौर खातेदार दर्ज चली आ रही है, जिसकी पूर्ण विगत इस जबाब प्रार्थना पत्र के उपरोक्त पदों में अप्रार्थीगण द्वारा अंकित की गई है। इस पद में स्व. छैलाराम जी की वंश वंशावली प्रार्थीगण द्वारा जिस प्रकार से अंकित की गई है, सही नहीं होने से अस्वीकार है। जिस वंश वंशावली में छैलाराम जी की पत्नी श्रीमती टीपूदेवी जिसका दिनांक 11.07.2011 को देहान्त हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 जोराराम जो अभी तक जीवित है के जीवनकाल में धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 7 से 13 अप्रार्थी संख्या 1 जोराराम के उत्तराधिकारी वारिसान कानूनन नहीं हो सकते है और न ही अप्रार्थी संख्या 1 के जीवित रहते अप्रार्थी संख्या 1 जोराराम की सम्पतियों व खातेदारी की कृषि भूमियों में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 7 से 13 को कानूनन कोई हक न्यागत (Devolve) ही हो सकता है। अप्रार्थी संख्या 1 जोराराम के जीवनकाल में यानि जोराराम के जीवित रहते वादग्रस्त खसरों की कृषि भूमियों में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 7 से 13 का किसी भी प्रकार से कोई हक, हिस्सा, हित व अधिकार कानूनन नहीं है और न ही हो सकता है। धारा 7 व 44 सम्पति

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

अंतरण अधिनियम 1882 के प्रावधानों अनुसार वादग्रस्त खसरों की भूमियों में अप्रार्थी संख्या 1 जोराराम सह–हिस्सेदार यानि सहस्वामी है व जिसके हिस्से यानि अंश की भूमि 1/3 है, जिस अंश व हिस्से की भूमि का अंतरण करने का अप्रार्थी संख्या 1 जोराराम को विधिक अधिकार प्राप्त है। वादग्रस्त खसरा नम्बर 227 की भूमियॉ राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के नाम से दर्ज चली आ रही है एवं धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 जोराराम जी के जीवनकाल में यानि जोराराम के जीवित रहते अप्रार्थी संख्या 1 जोराराम की स्थावर सम्पतियों एवं खातेदारी की कृषि भूमियों में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 7 से 13 को कानूनन कोई हित व अधिकार न्यागत (Devolve) नहीं हो सकते है। धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थीगण एवं अन्य अप्रार्थी संख्या 7 से 13 को अप्रार्थी संख्या 1 जोराराम की सम्पतियों में हित व अधिकार कानूनन अप्रार्थी संख्या 1 जोराराम के निर्वसीयत देहान्त होने के पश्चात ही न्यागत (Devolve) हो सकते है एवं धारा 7 व 44 सम्पति अंतरण अधिनियम 1882 के प्रावधानों अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 जोराराम को अपने स्वामित्व एवं खातेदारी, हक व हिस्से की स्थावर सम्पतियों का अंतरण करने का कानूनन अधिकार प्राप्त है। जिन सम्पतियों में अप्रार्थी संख्या 1 जोराराम के जीवित रहते प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 7 से 13 का कानूनन किसी प्रकार से कोई, हक, हिस्सा व अधिकार नहीं है और न ही हो सकता है। वादग्रस्त खसरों की भूमियॉ अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी सम्पतियॉ न होकर अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के खातेदारी की सम्पतियॉ है, जिस कारण वादग्रस्त भूमियों में प्रार्थीनी संख्या 1 सीतादेवी का धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों अनुसार प्रार्थीनी के जन्म से ही हित न्यागमन (Devolution) होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। जहॉ तक प्रार्थी संख्या 2 अनिल पटेल का प्रश्न है। प्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 जोराराम का पुत्र न होकर पोत्र है, जिसका हित अप्रार्थी संख्या 1 की सम्पतियों में धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 जोराराम के निर्वसीयत मरने के पश्चात न्यागत (Devolve) हो सकते है, उससे पूर्व नहीं। धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 व धारा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों अनुसार भी किसी अभिधारी यानि खातेदार कृषक के निर्वसीयत मर जाने के पश्चात ही अभिधारियों के उत्तराधिकारियों को उनकी स्वीय विधि अनुसार हित न्यागत होने के बाबत स्पष्ट प्रावधान है, न कि अभिधारी के जीवनकाल में यानि जीवित रहे। इस प्रकरण में स्वीकृत रूप से अप्रार्थी संख्या 1 जोराराम अभी तक जीवित है एवं जिसे धारा 7 व 44 सम्पति अंतरण अधिनियम 1882 के प्रावधानों अनुसार अपने स्वामित्व एवं खातेदारी भूमियॉ का अपने जीवनकाल में अंतरण करने का कानूनन अधिकार प्राप्त है। वादग्रस्त खसरों की भूमियों पर प्रार्थीगण का किसी भी प्रकार से कोई कब्जा, हित व अधिकार नहीं है। वादग्रस्त खसरों की भूमियॉ अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के खातेदारी, कब्जा एवं काश्त की कृषि भूमियॉ है, जिन भूमियों का अंतरण करने का अप्रार्थी संख्या 1 से 5 को धारा 7 व धारा 44 सम्पति अंतरण अधिनियम 1882 के प्रावधानों अनुसार कानूनन अधिकार प्राप्त है। वादग्रस्त खसरों की भूमियों में अप्रार्थी संख्या 1 जोराराम के जीवित रहते अप्रार्थी संख्या 7 से 10 एवं प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 11 से 13 जो अप्रार्थी संख्या 1 जोराराम के मृत पुत्र के उत्तराधिकारी वारिसान पत्नी, पुत्र एवं पुत्रियॉ है, का किसी भी प्रकार से कोई, हक, हिस्सा, हित व अधिकार एवं कब्जा नहीं है और न ही हो सकता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया है। जबाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में जोराराम का शपथपत्र पेश किया गया है।

बहस प्रार्थना पत्र उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया व संबंधित विधि का अध्ययन किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि ग्राम हीरखेडा में खेत खसरा नम्बर 227 की कुल भूमि रकबा 1.7240 हेक्टेयर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज भूमि है, जो भूमि प्रार्थीनी सीतादेवी के ससुर व प्रार्थी अनिल पटेल के दादा जोराराम जी के खातेदारी की भूमि है, जिस भूमि पर प्रार्थीगण कृषि कार्य कर उपयोग व उपभोग कर रहे है। यह जमीन पूर्व में छैलाराम जी की थी, जिनकी मृत्यु के बाद फौतेदगी नामान्तरकरण छैलाराम जी के वारिसान व टीपुदेवी के फौत होने के पश्चात वारिसान के पक्ष में भरे गये है जो पैतृक भूमि है, जिसमें प्रार्थीगण एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 7 से 13 का भी हक, हिस्सा व कब्जा चला आ रहा है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार प्रार्थीगण पुत्रवधु व पोत्र होने के कारण हिस्सा है, उक्त खसरों की भूमि में प्रार्थीगण का 1/5 हिस्सा बनता है, जिस जमीन को अप्रार्थी संख्या 1 जोराराम को बेचने का अधिकार नहीं है। जिस कारण अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का बेचान व हस्तान्तरण नहीं करे, रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से दौराने बहस जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये है कि स्वीकृत रूप से प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम हीरखेडा में स्थित खसरा नम्बर 227 की भूमि छैलाराम के खातेदारी की भूमि थी, जिनका देहान्त होने पर फौतदेगी म्युटेशन संख्या 854 दिनांक 3.9.2004 छैलाराम के पुत्र अप्रार्थी जोराराम, रामाराम व मोहनराम व छैलाराम की पत्नी श्रीमती टीपु देवी के हक में स्वीकृत किया गया है और टीपुदेवी के देहान्त के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 3195 दिनांक 20.01.2022 को टीपुदेवी के पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 से 3 एवं पुत्रियॉ अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के पक्ष में

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

स्वीकृत किया गया है। जिन नामान्तरकरण व जमाबंदी की नकलें पेश की गई है। जिन तथ्यों को प्रार्थीगण की ओर से जानबूझकर छुपाया गया है। प्रार्थीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आये है, जिस कारण साम्या के आधार पर प्रार्थीगण न्यायालय से किसी प्रकार का अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी की ओर से यह भी बहस की गई कि स्वीकृत रूप से अप्रार्थी संख्या 1 से 5 खातेदार काश्तकार यानि अभिधारी है, जो अभिधारी जीवित है। धारा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों अनुसार अभिधारी के निर्वसीयत मर जाने यानि देहान्त हो जाने के पश्चात ही अभिधारी के उत्तराधिकारी वारिसान को हित व अधिकार धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्णित अनुसूची के वर्ग–1 में वर्णित प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों को प्राप्त होते है। अभिधारी के जीवनकाल में धारा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम और धारा 08 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों अनुसार उत्तराधिकार में सम्पति यानि भूमि प्राप्त होने का प्रश्न ही उत्पनन नहीं होता है और स्वीकृत रूप से प्रार्थीगण ने अपने आपको अप्रार्थी संख्या 1 जोराराम के मृत पुत्र की पत्नी व पुत्र होने के आधार पर उत्तराधिकारी बताया है, जबकि अभिधारी जोराराम अभी तक जीवित है, जिसके जीवित रहते प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 7 से 13 का उक्त खसरों की भूमि में हक, हिस्सा व अधिकार होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है व धारा 7 व 44 सम्पति अन्तरण अधिनियम के अनुसार संयुक्त सम्पति में सह–हिस्सेदार द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान किया जाना वर्जित नहीं है। जिस कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुए खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम हीरखेडा में स्थित खसरा नम्बर 227 के अभिधारी अप्रार्थी संख्या 1 से 5 है। न्यायालय के समक्ष यह भी स्वीकृत तथ्य है कि खसरा नम्बर 227 के अभिधारी अप्रार्थी संख्या 1 से 5 है, जो जीवित है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 जोराराम के जीवित रहते हुए जोराराम के मृत पुत्र भॅवरलाल की पत्नी प्रार्थीनी सीतादेवी व पुत्र अनिल पटेल का वादग्रस्त खसरों की भूमियों में हक, हिस्सा व कब्जा होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है और न ही ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य एवं किसी स्वतन्त्र गवाह के शपथपत्र प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश किये गये है। अप्रार्थीगण की ओर से जो दस्तावेज पेश किये गये है, उन दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम हीरखेडा तहसील लूणी जिला जोधपुर में स्थित खसरा नम्बर 227 राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के नाम से बतौर खातेदार दर्ज चली आ रही है, जिस भूमि पर कब्जा भी इन्हीं पक्षकारान का चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पक्ष में किसी भी प्रकार से प्रथम दृष्टया प्रकरण होना नहीं पाया जाता है।

चूँकि प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण बनना नहीं पाया गया है, ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनना नहीं पाये जाते है।

उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में बनना नहीं पाये जाने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है पत्रावली फेसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(गोपाल परिहार)RAS
सहायक कलक्टर एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी